**संख्या-127/2019/1061/पॉच-6-19-17(बजट)/2018**

**प्रेषक**,

**नर्वेद सिंह**,

**विशेष सचिव**,

**उ0प्र0 शासन।**

**सेवा में**,

**महानिदेशक**,

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें**,

**उत्तर प्रदेश**, **लखनऊ।**

**चिकित्सा अनुभाग**-6 **लखनऊ : दिनांक 15 मई**, **2019**

**विषय**:- **वित्तीय वर्ष** 2019-20 **में अनुदान संख्या**-36 **चिकित्सा विभाग** (**सार्वजनिक स्वास्थ्य**) **के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

**महोदय**,

**उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या**-6**फ**/**बजट**/2019-20/78, **दिनांक** 29-04-2019 **के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में फागिंग एवं छिड़काव आदि कार्य में लगे मजदूरों की मजदूरी भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष** 2019-20 **में अनुदान संख्या**-36 **चिकित्सा विभाग** (**सार्वजनिक स्वास्थ्य**) **के अन्तर्गत लेखाशीर्षक**-2210-**चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य**-06-**लोक स्वास्थ्य सेवायें**-101 **रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण 03-स्वास्थ्य तथा खाद्यय एवं औषधि नियन्त्रण के मानक मद-02 मजदूरी में रू0-500.00 लाख (रूपया पॉच करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग** (**संलग्न प्रपत्र बी.एम.**-9 **भाग**-1 **के अनुसार**) **के माध्यम से निर्गत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो**/**प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं**:-

1. **वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या**-1/2019/**बी**-1-170/**दस**-2019-231/2019, **दिनांक** 22.03.2019 **में उल्लिखित दिशा निर्देशों**/**प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
2. **स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा ।**
3. **उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**
4. **यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति**/**द्विरावृत्ति न हो।**
5. **आहरित धनराशि किसी बैंक**/**पी.एल.ए.**/**डाकघर में नहीं रखा जाएगा तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा।**
6. **स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।**

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

7. जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।
8. जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं जाएगी।
9. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग विभागाध्यक्ष इसी वित्तीय वर्ष में कर लेगें।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-36 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य सेवायें-101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण 03- स्वास्थ्य तथा खाद्यय एवं औषधि नियन्त्रण के मानक मद 01-वेतन की सम्भावित बचत से वित्तीय वर्ष-2018-19 में अनुदान संख्या-36 के लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य सेवायें-101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण 03-स्वास्थ्य तथा खाद्यय एवं औषधि नियन्त्रण के मानक मद-02 मजदूरी के अन्तर्गत पुनर्विनियोग कर वहन किया जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या-वित्त ई0-3-635/दस-19 दिनांक 13 मई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-127/2019/1061(1)/पॉच-6-19 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
4- निदेशक संचारी रोग/वी0बी0डी0, स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
5- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ कोषाधिकारी /कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
8- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

आज्ञा से,
हरनाम
संयुक्त सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

**शासनादेश संख्या-127/2019/1061 /पांच-6-19-17(बजट)/18 तददिनांक 15 मई, 2019 का संलग्नक-1**

**वित्तीय वर्ष 2019-20 प्रपत्र बी.एम.-9 (भाग-1)**

**अनुदान संख्या**-36 **चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)**

**निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण (धनराशि लाख में)**

| लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग | आवेदन पत्र के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06-लोक स्वास्थ्य सेवायें 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 03-स्वास्थ्य तथा खाद्य एवं औषधि नियंत्रण** | | | | | |
| **01- वेतन** | **4464**0.4 | **500.00** | **500.00** | **500.00** | **44140.4** |
| **योग-** | **44640.4** | **21500.69** | **500.00** | **500.00** | **44140.4** |

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

| लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत | वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान /विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (8 11) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06- लोक स्वास्थ्य सेवायें 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 03-स्वास्थ्य तथा खाद्य एवं औषधि नियंत्रण** | | | | | |
| **02-मजदूरी** | **160.00** | **660.00** | **500.00** | **500.00** | **660.00** |
| **योग-** | **160.00** | **660.00** | **500.00** | **500.00** | **660.00** |

(1) **स्तम्भ**-3 **में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है**:-

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रश्नगत मद में हुई बचत तथा पदों की रिक्तता को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी बचत सम्भावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक निम्नलिखित कारणों से है :-

वेक्टर जनित रोग का संचरण काल प्रारम्भ होने वाला है एवं इसकी रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर आवश्यक व्यापक फॉगिंग एवं छिड़काव आदि कार्य कराए जाने के लिए मजदूरों को भुगतान किये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

<u>संख्या:-006 आर.ई. /ई-3/696 -दस-2019 दिनांक 10 मई, 2019</u>

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

हरनाम
संयुक्त सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।

पवित्र कुमार
उप सचिव
वित्त विभाग ।

<u>संख्या:-127/2019/1061(1)/पॉच-6-2019-तददिनांक 15 मई, 2019</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित कोषाधिकारी।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियन्त्रण), अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त लेखा अनुभाग ।
6. वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में) ।

हरनाम
संयुक्त सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।